उत्तर पश्चिम रेलवे

रेलवे भर्ती कक्ष, पावर हाउस रोड, जयपुर–302006

उपरे पर प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

प्रशिक्षुओं की नियुक्ति रोजगार सूचना संख्या 04/2017 (उपरे/एए) दिनांक 30.10.2017

अधिसूचना

उपरे पर प्रशिुक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षुओं की नियुक्तिः–

ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय
30.10.2017	29.11.2017 17.00 बजे तक

उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में आनेवाले मंडलों/कार्यशालाओं/यूनिटों पर निर्दिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन प्रशिक्षण देने के लिए एक्ट प्रशिक्षुओं को नियुक्त किए जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल ऑनलाइन के माध्यम से पूर्ण रूपेण भरा गया आवेदन अंतिम तिथि, समय 17.00 बजे तक प्रस्तुत करें।

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडलों/यूनिटों के लिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीनं एक्ट प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के लिए यह एक केंद्रीयकृत अधिसूचना है और रेलवे भर्ती कक्ष, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर को सिर्फ अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा मेधा सूची तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करें।
2. मंडल/यूनिट वाइज मेधा सूची तैयार करने के बाद, उसे उत्तर पश्चिम रेलवे के संबंधित मंडल/यूनिट को सूचित किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा जैसी भी स्थिति हो, चुने गए मंडलों/यूनिटों द्वारा की जाएगी।
3. अभ्यर्थी यह नोट करें कि केंद्रीयकृत मेधा सूची तैयार नहीं की जाएगी।
4. **चयन की विधिः–**

4.1 इस अधिसूचना के विरूद्ध ओवदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों की मंडल/यूनिट वाइज तैयार मेधा सूची के आधार पर यह चयन किया जाएगा। इस हेतु मैट्रिक (न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ) (कुल अंक) + जिस ट्रेड में अप्रैंटिस हेतु आवेदन किया है उसके आईटीआई के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के औसत के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। चयन, मैट्रिक व आईटीआई के औसत अंकों के आधार पर होगा। मैट्रिक के अंकों के प्रतिशत की गणना के प्रयोजन हेतु अभ्यर्थी द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों की गणना की जाएगी और किसी एक विषय या विषय के समूह के अंकों के आधार पर गणना नहीं की जाएगी। आईटीआई के अंकों के प्रतिशत की गणना के प्रयोजन हेतु प्रोविजनल/अंतिम प्रमाण पत्र में उल्लेखित अंकों की गणना की जाएगी।

4.2 दो अभ्यर्थियों के समान अंक आ जाने की स्थिति में, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जन्मतिथि भी समान होने की स्थिति में, जिस अभ्यर्थी ने मैट्रिक परीक्षा पहले उत्तीर्ण की है उसके नाम पर पहले विचार किया जाएगा।

4.3 अतिम मेधा सूची उपरोक्तानुसार मंडल/यूनिटवार, ट्रेडवार तथा समुदायवार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के घटते हुए क्रम में स्लॉट के नम्बर के समान तैयार की जाएगी।

4.4 अभ्यर्थी, मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं रेलवे के मंडल, वर्कशाप तथा अन्य यूनिटों के लिए लागू उचित चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाए जाने पर ही अंतिम रूप में सूचीबद्ध होगें।

5. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय, प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अग्रिम चरण/रेलवे भर्ती कक्ष से पत्र व्यवहार करने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित/नोट करने का परामर्श दिया जाता है।

नोट 1.:– अभ्यर्थियों को अपने हित के लिए अंतिम समय एवं इंटरनेट पर भारी लोड के कारण रेलवे भर्ती कक्ष की बेवसाइट को लॉग ऑन करने में संभावित असमर्थ / विफल होने या अंतिम दिनों के दौरान बेवसाइट जाम होने से बचने के लिए अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन भरने की सलाह दी जाती है।

नोट 2.:– उपर्युक्त कारणों या अन्य किन्हीं कारणों से अभ्यार्थियों द्वारा अंतिम तिथि को अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में रेलवे भर्ती कक्ष कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा।

6. अभ्यर्थियों को एक ही यूनिट का चुनाव करना है। यूनिटें निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	यूनिट का नाम
i.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अजमेर
ii.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बीकानेर
iii.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जयपुर
iv.	मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर
v.	बी. टी. सी. कैरेज, अजमेर
vi.	बी. टी. सी. लोको, अजमेर
vii.	कैरेज वर्कशॉप, बीकानेर
viii.	कैरेज वर्कशॉप, जोधपुर

नोट :– आवेदक कृपया उपलब्ध प्रशिक्षण स्लाट के साथ–साथ अपनी आई टी आई ट्रेड का पूरी तरह से अध्ययन कर लें और तदनुसार ही यूनिटों का चयन करें। ऐसा न हो कि आपने ऐसी स्लॉट एव यूनिट का चयन कर लिया हो जहां आपकी आई टी आई ट्रेड के प्रशिक्षण का स्लॉट ही उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन अंततः अर्थहीन हो सकता है क्योंकि आपको अंतिम रूप से आवेदन करने के बाद किसी भी तरह के परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, आपको बाद में या अनेक आवेदन करने की अनुमति भी नहीं है। इस तरह से आपके सभी आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे।

7. निम्नांकित ट्रेडों में प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाएगा:–

(1.) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, अजमेर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर सी एंड डब्ल्यू	12	06	03	03	24	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	डीजल मैकेनिक	65	35	19	10	129	
	योग	77	41	22	13	153	

(2.) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बीकानेर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर सी एंड डब्ल्यू	45	24	14	07	90	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	डीजल मैकेनिक	39	21	12	06	78	
	योग	84	45	26	13	168	

(3.) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जयपुर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर (यांत्रिक एवं सी एंड डब्ल्यू)	27	15	08	04	54	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	विधुत	08	04	02	01	15	
3	एस. एंड टी	09	03	03	00	15	
	योग	44	22	13	05	84	

(4.) मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जोधपुर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	इलेक्ट्रीशियन	05	02	01	01	09	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	मैकेनिकल डीजल	15	08	05	02	30	
	योग	20	10	06	03	39	

(5.) बी. टी. सी. कैरेज, अजमेर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर	55	29	16	08	108	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	वेल्डर	15	08	05	02	30	
3	पेंटर	37	19	11	05	72	
	योग	107	56	32	15	210	

(6.) बी. टी. सी. लोको, अजमेर

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	मैकेनिकल डीजल	15	08	05	02	30	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	फिटर	33	18	10	05	66	
3	वेल्डर	15	08	05	02	30	
	योग	63	34	20	09	126	

(7.) कैरेज वर्कशॉप, बीकानेर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर	15	08	05	02	30	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	टर्नर	06	03	02	01	12	
3	कारपेंटर	08	04	02	01	15	
4	वेंल्डर	05	02	01	01	09	
5	इलेक्ट्रीशियन	05	02	01	01	09	
6	वाइरमैन	05	02	01	01	09	
7	मैकेनिस्ट	03	02	01	00	06	
	योग	47	23	13	07	90	

(8.) कैरेज वर्कशॉप, जोधपुर–

क्र. सं.	प्रशिक्षण ट्रेड का विवरण						
	ट्रेड	सामान्य	अपिव	अजा	अजजा	योग	
1	फिटर	62	33	19	09	123	संबंधित ट्रेड में आईटीआई पास होने पर ही विचार किया जाएगा।
2	कारपेंटर	33	18	10	05	66	
3	वेल्डर(जी एंड ई)	17	09	05	02	33	
4	पेंटर(सामान्य)	19	11	06	03	39	
5	एम एम टी एम	10	06	03	02	21	
6	मैकेनिस्ट	06	03	02	01	12	
	योग	147	80	45	22	294	

ध्यान दें :–

उपर्युक्त सारणियों में पीडब्ल्यूडी (निःशक्तजन) तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीटें अलग से नहीं है, लेकिन सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित कर दिया गया है।

जब अनुसूचित जतियों या अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थी निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस प्रकार से उनके लिए आरक्षित प्रशिक्षण स्थानों को अनुसूचित जन जाति या जो भी स्थिति हो, के अभ्यार्थियों से भरा जाना है और यदि उपर्युक्त तरीके से भी निर्धारित प्रशिक्षण स्थानों को भरा नहीं जा सका हो तो इस प्रकार से बिना भरे शेष रहे प्रशिक्षण स्थानों को गैर अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों से भर लिए जाएगा। इसी प्रकार अपिव अभ्यार्थियों से बिना भरी हुई सीटों को भी अनारक्षित वर्ग से भर लिए जाएगा।

8. **पात्रता शर्तें :–**

8.1 दिनांक 30.10.2017 को अभ्यार्थी की उम्र 15 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए तथा 24 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए।

8.2 उपरी आयु सीमा में अजा/अजजा के अभ्यार्थियों के मामले में 05 वर्ष की छूट है तथा अपिव के अभ्यार्थियों को 03 साल की छूट है।

तदनुसार अलग–अलग समुदायों के लिए जन्मतिथि की पात्रता सीमा निम्नानुसार होगी :–

समुदाय	अभ्यार्थी निम्नांकित तिथियों के मध्य जन्मा हो (दोनों तिथियां शामिल हैं)
अनारक्षित	30.10.2007 से 30.11.1993 तक
अजा	30.10.2007 से 30.1.1.1988 तक
अजजा	30.10.2007 से 30.11.1988 तक
अपिव	30.10.2002 से 30.11.1990 तक

8.3 निःशक्तजनों के लिए उपरी आयु सीमा में 10 साल तक छूट है।

8.4 भूतपूर्व सैनिकों को (उन भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर जिन्होंने नौकरी के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक का लाभ लेकर सरकारी सेवा आरंभ कर दी है) रक्षा बलों में उनके द्वारा की गई सेवा + 03 साल के अधीन उपरी आयु में 10 साल तक की अतिरिक्त छूट है बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 6 माह की सेवा कर ली हो। तथापि किसी भी समुदाय का ध्यान रखे बिना भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध होते हैं तो भूतपूर्व सैनिकों के कोटे के विरूद्ध समझा जाएगा। यदि अनारक्षित रिक्तियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस समुदाय विशेष जिसमें रिक्तियाँ उपलब्ध हो, उससे संबंधित भूतपूर्व सैनिकों को इनके कोटे के विरूद्ध माना जाएगा।

8.5 ऐसे अभ्यार्थी जो अजा/अजजा के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्नक I के नमूने के अनुसार उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के फार्मेट पर अपना जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार, ऐसे अभ्यार्थी जो अपिव के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय संलग्नक II के नमूने के अनुसार उपयुक्त प्रधिकारी द्वारा जारी केंद्र सरकार के फार्मेट पर 01.04.2017 को या इसके बाद जारी जाति प्रमाण–पत्र तथा नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना है।

8.6 ऐसे अभ्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक तथा सशस्त्र बलों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, वे डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें तथा भूतपूर्व सैनिकों तथा सशस्त्र बलों के कार्मिकों की संतान होने की स्थिति में, तो उनके माता–पिता को क्रमशः डिस्चार्ज प्रमाण–पत्र या सशस्त्र बल सेवा प्रमाण पत्र (जैसी भी स्थिति हो) प्रस्तुत करना होगा।

9. <u>भूतपूर्व सैनिकः–</u>

9.1 भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध कराए गए आरक्षण के अंतर्गत चुने गए किसी भी भूतपूर्व सैनिक को उपयुक्त कोटि जैसे अनारक्षित/अजा/अजजा/अपिव जिससे कि वह संबंधित है, उन्हें उसमें रखा जाता है। भूतपूर्व सैनिकों, उनके संतान तथा सशस्त्र बल कार्मिकों की संतानों के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैः–

(क) मृत/असमर्थ भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, इनमें शांति के समय मारे गए/असमर्थ भी शामिल है।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे।

(ग) सेवारत जवानों के बच्चे।

(घ) सेवारत सेना/सशस्त्र बलों के अधिकारियों के बच्चे।

(ड़) भूतपूर्व सैनिक।

10. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:–**

10.1 अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित 10वीं कक्षा परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के अधीन) उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके पास एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में नेशनल ट्रेड का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

11. **फीस का भूगतान:–**

11.1 आवेदन फीस :– रू. 100/– जो कि लौटाई नहीं जाएगी।

11.2 फीस का भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाए।

11.3 आवेदन पत्र के विवरणों की सत्यता को सुनिश्चित कर लेने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन से भुगतान के माध्यम से फीस का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके बाद किसी भी परिवर्तन/काट छाट की अनुमति नही होगी

11.4 फीस का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिग आदि का उपयोग कर स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी अनुसार किया जा सकता है। ऑनलाईन भुगतान के लिए यदि कोई लेन–देन प्रभार होता है तो उसे उम्मीदवार के द्वारा वहन किया जाएगा।

11.5 आवेदन की प्रकिया पूर्ण होने तथा फीस भुगतान की प्रकिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर तिथि सहित ई–पावती जेनरेट होगा जिसे उम्मीदवार द्वारा प्रिंट कर रख लिया जाए।

11.6 यदि फीस का भुगतान सफलता पूर्वक पूर्ण नही होता है, तो कृपया दोबारा लॉगइन कर भुगतान करें।

11.7 अ.जा./अ.ज.जा./महिला/पीडल्यूडी उम्मीदवारों द्वारा कोई शुल्क देय नही है।

12. **निशक्त जनों के लिए फिटनेस का मानक–**

12.1 केवल लोको मोटर या सेरेबरल पालिसी (ओ.एच.) जो संबद्ध निशक्ता मे 40% से कम पीड़ित न हो और श्रवण विकलांगता (एच.एच) जो 60 डेसीवल या इससे ज्यादा वार्तालाप रेंज में हो आवेदन करने के पात्र हैं।

12.2 लोको मोटर या सेरेबरल पालसी (ओ.एच) के लिए :–

ट्रेड	निशक्ता अपेक्षाएं
यांत्रिक (डीजल)	अपर लिम्ब आंशिकरूप से क्षतिग्रस्त (कनिष्ठा और अनामिका) को दोनों हाथ के लिए एकोमोडेट किया जा सकता है। लोअर लिम्ब जो केवल एक तरफ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो को एकोमोडेट किया जा सकता है।
इलैक्ट्रीशियन	आंशिक रूप से लोअर लिम्ब वाले उम्मीदवारों को एकोमोडेट किया जा सकता है।
वेल्डर (गैस व बिजली)	बिना पैर और एक हाथ के बिना तीन अंगुल (उंगली) के व्यक्तियों को लिया जा सकता है। मात्र कनि का उंगली क्षतिग्रस्त वाले उम्मीदवारों को लिया जा सकता है।
मशीनिष्ट	मात्र कनिष्का उंगली क्षतिग्रस्त वाले उम्मीदवारों को लिया जा सकता है।
पेंटर (सामान्य)	एक अपर और लोअर लिम्ब जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो।
कारपेंटर	एक अपर और लोअर लिम्ब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त
इलैक्ट्रोनिक मैकेनिक	बिना पैरों या पैर के

ट्रेड	निशक्ता अपेक्षाएं
टूल एण्ड डाई मेकर	केवल एक तरफ लोअर लिम्ब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वालो को लिया जा सकता है। प्रत्येक हाथ के स्मॉल फिंगर क्षतिग्रस्त वालों को लिया जा सकता है।
मैकेनिक (मोटर व्हीकल)	आंशिक रूप से अपर लिम्ब क्षतिग्रस्त (कनिष्का व अनामिका) वालो को लिया जा सकता है। दोंनो हाथो के लिए केवल एक तरफ से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त लोअर लिम्ब वालों को लिया जा सकता है।
टर्नर	एक तरफ से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त लोअर लिम्ब वाले को लिया जा सकता है।
स्टील मेटल वर्कर	दोनों लोअर लिम्ब क्षतिग्रस्त वालों को लिया जा सकता है।
इस्ट्रूमेंट मेकेनिक	एक लोअर लिम्ब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वालों को लिया जा सकता है।
प्रयोगशाला सहायक (सी.पी.)	एक लोअर लिम्ब आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त वालों को लिया जा सकता है।
प्रोग्रामिंग एण्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सहायक	दोनों लोअर लिम्ब

12.3 निम्न दृष्टि (वी.एच.) :– "निम्न दृष्टि वाले व्यक्ति" से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिन्हें उपचार या मानक रिफ्रेक्टिव करेक्शन के बाद भी दृष्टि की कमी है लेकिन वह किसी कार्य की योजना या संपन्न करने के लिए अपनी दृष्टि को समुचित सहायक उपाय से सामान्य देख लेता है।

12.4 निशक्तजन (पी.डब्ल्यू.डी) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते है सक्षम प्राधिकारी (यानि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठीत मेडीकल बोर्ड) द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

12.5 उपरोक्त लिखित निशक्तजनो के अलावा पी डब्ल्यू डी के तौर पर आवेदन नही करें, और वे ऐसी छूट/सुविधा के पात्र नही होगें।

13. **<u>आवेदन कैसे करें :–</u>**

13.1 उम्मीदवार वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर जाएं जहाँ ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तित निर्देश उपलब्ध है, उनका अवलोकन कर अपना ऑनलाइन आवेदन भरें।

13.2 उम्मीदवार रेलवे भर्ती कक्ष, जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर दिये गए लिंक पर लॉग ऑन करें और अपना व्यक्तिगत विवरण/बायोडाटा सावधानी पूर्वक भरें।

नोट I :– उम्मीदवार मेक्ट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र मे रिकार्ड अनुसार अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि भरें जो रिकार्ड के अनुसार मैच करता हो। दस्तावेज सत्यापन के दौरान यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो उनकी अभ्यार्थिता रद्द हो जाएगी और वे वंचित भी हो जांएगे।

नोट II :- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में चालू मोबाइल नं. और मान्य ई–मेल आई डी भरें और इन्हें पूरे चयन प्रकिया के दौरान सकिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ई–मेल/एसएमएस द्वारा दी जाएगी, जिसे उम्मीदवार द्वारा पढ लिया गया है ऐसा मान लिया जाएगा।

13.3 उम्मीदवार को किसी एक यूनिट के लिए ही आवेदन करना है।

13.4 उम्मीदवार भिन्न–भिन्न ब्यौरे जैसे नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (चेहरा)/शैक्षणिक और/या तकनीकि योग्यता आदि या भिन्न–भिन्न ई–मेल आई डी/मोबाइल नं. के साथ एक से ज्यादा आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

13.5 उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट को अपने पास रखना है। यदि वह पात्र पाया गया तो उसे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और दस्तावेज सत्यापन के समय उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रिंटआउट को प्रस्तुत करना होगा।

14. स्कैन फोटोग्राफ/फोटोग्राफ की प्रति।

14.1 उम्मीदवार को अपना कलर फोटोग्राफ (3.5 सेमी x 3.5) सेमी आकार का जो JPG/JPEG फॉर्मेट मे 20 केवी–70केवी के बीच 100 डी पी आई और आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नही हो और कलर मे हो, अपलोड करना होगा। उम्मीदवार नोट करें कि रेल भर्ती कक्ष किसी भी स्टेज पर पुराना/अस्पष्ट फोटो ग्राफ ब्लेक एण्ड व्हाइट फोटाग्राफ अपलोड करने पर या आवेदन प्रपत्र मे अपलोड किये गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार के वास्तविक भौतिक सत्यापन मे किसी भी महत्वपूर्ण भिन्नता की स्थिति मे आवेदन को निरस्त कर देगा। उम्मीदवार सत्यापन के समय दिखाने के लिए फोटोग्राफ की अतिरिक्त दो प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

15. स्कैन हस्ताक्षर/हस्ताक्षर के इमेज की सॉफ्ट कॉपी उम्मीदवार को अपना हस्ताक्षर (3.5सेमी ग 3.5सेमी आकार का जो JPG/JPEG फॉर्मेट, 100 डी पी आई, जो 20 के वी– 30 के वी के बीच हो) अपलोड करना होगा।

16. <u>आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि–</u>

16.1 ऑनलाइन प्रोसेस द्वारा सभी तरह से पूर्णरूपेण भरा गया ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29.11.2017 समय 17.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन की हार्ड कॉपी रेलवे भर्ती कक्ष को भेजने की आवश्यकता नही है फिर भी यदि कोई प्राप्त होता है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

17. <u>प्रशिक्षण अवधि व वृत्तिका –</u>

17.1 प्रशिक्षण अवधि व वृत्तिका, रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा नियमों व निर्देशानुसार होगी।

17.2 कोई हॉस्टल सुविधा नहीं दी जाएगी और चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान आवास की व्यवस्था उन्हे स्वयं करनी होगी और उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर कार्यभार मुक्त कर दिया जाएगा।

18. <u>प्रशिक्षण करार–</u>

18.1 उल्लिखित ट्रेड मे अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण शुरूआत करने से पूर्व चयनित उम्मीदवारों को या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक को नियोक्ता के साथ अप्रेंटिसशिप की संविदा करनी होगी।

19. <u>चिकित्सा फिटनेस –</u>

19.1 अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप नियम 1992 (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार कोई व्यक्ति तब ही प्रशिक्षण के लिए पात्र होगा यदि वह उपर्युक्त एक्ट व नियमों मे निर्धारित अनुसार शारीरिक योग्यता के न्यूनतम मानक और संबद्ध ट्रेड मे प्रशिक्षण में निर्धारित मानक को पूरा करता हो जिसे रेलवे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

19.2 चयनित उम्मीदवारों को लगाए जाने से पूर्व निर्धारित चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक योग्यता पास करना होगा जिसके लिए उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षा शुल्क के रूप में 24.00 रूपये का भुगतान करना होगा।

20. हेल्पडेस्क :–

20.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने एवं प्रिंट निकालने में किसी भी समस्या के लिए हेल्प लाइन नं. 9782747045 पर सुबह 10.00 बजे से सांय 17.00 बजे तक (रविवार एवं अवकाश के दिन छोड़कर) कॉल कर सकते हैं।

21. महत्वपूर्ण निर्देश :–

21.1 पात्रता, आवेदन स्वीकार करने या अस्वीकार करने और चयन की विधि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

21.2 रेलवे में प्रशिक्षण देने से उम्मीदवार को प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक संपन्न होने के पश्चात् रेलवे में उम्मीदवार को समाहित करने का कोई अधिकार नहीं होगा। श्रम मंत्रालय द्वारा 15.07.1992 को अधिसूचित अप्रेंटिस रूल 1991 के शिड्यूल 5 के पैरा 10 की शर्तों में नियोक्ता को अपने स्थापना में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की अवधि पूरा होने पर अप्रेंटिस को रोजगार देने के ऑफर के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा। नियोक्ता के अधीन नियोजन के लिए प्रशिक्षु भी बाध्य नहीं होगा। रेलवे में प्रशिक्षण देने से प्रशिक्षण पश्चात् रेलवे में उम्मीदवार को समाहित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

21.3 एंगेजमेंट के लिए कोई पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

21.4 किसी भी प्रकार के अनुयाचन अभ्यर्थिता को डिसक्वालीफाई कर देगा और इस मामले में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

21.5 आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि वह पात्रता और अन्य मापदण्ड पूरा करता है। एंगेजमेंट किए जाने के किसी भी स्तर पर अनुपयुक्त पाए जाने पर और यदि भूल से लगा लिया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर प्रशिक्षण सें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

21.6 यदि कोई उम्मीदवार सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है या कोई अन्य भिन्नता ध्यान में आती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

21.7 यदि रेल प्रशासन के ध्यान में आता है कि आवेदक ने गलत/झूठा प्रमाण पत्र/फाल्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन को उम्मीदवार/चयनित उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के किसी भी स्तर पर यहाँ तक कि प्रशिक्षण के लिए उसके चयन होने के पश्चात भी डिस्चार्ज करने का अधिकार होगा।

21.8 रेल प्रशासन को उम्मीदवार के चयन नहीं होने या नहीं बुलाए जाने के लिए जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन के मामले में किसी प्रकार के पत्राचार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या इस कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या संगठन को जवाब नहीं दिया जाएगा।

21.9 रेल प्रशासन किसी भी प्रिंटिंग भूल के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

21.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

21.11 उम्मीदवार को आवेदन के प्रिंट आउट या किसी प्रमाण पत्र की प्रति रेल भर्ती कक्ष को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की अभ्यर्थिता पर ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारियो के आधार पर विचार किया जाएगा।

21.12 प्रशिक्षण में लगाए जाने के लिए चयन पश्चात् मंडल/यूनिट परिवर्तन करने के लिए उम्मीदवार के निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

21.13 किसी विवाद या कोई भूल की दशा में अंग्रेजी माध्यम के अधिसूचना को अंतिम माना जाएगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती कक्ष।